भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1457

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है ।

बिजली की खपत

1457. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिजली की खपत के मामले में विश्व में भारत का स्थान क्या है;

(ख) बिजली की खपत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने की संभावना है; और

(ग) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्ष 2021-22 में भारत की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1255 किलोवाट प्रति घंटा थी जो प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के वैश्विक औसत का लगभग एक-तिहाई है। भारत सरकार ने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के माध्यम से, मानक और लेबल (एसएंडएल) कार्यक्रम, उन्नत ज्योति बाय अफॉर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला), स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी), ऊर्जा दक्षता का विनिर्माण, कृषि और नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन जैसी स्कीमें कार्यान्वित की हैं जिनसे ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में मदद मिलती है।

(ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा वर्ष 2029-30 के लिए किए गए उत्पादन विस्तार आयोजना अध्ययन के अनुसार, देश की कुल संस्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता का हिस्सा अक्तूबर, 2022 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 42% से वर्ष 2029-30 तक 64% से अधिक बढ़ने की संभावना है। इससे विद्युत उत्पादन में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी तथा सौर और पवन जैसे विद्युत के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) की अनुमति देना

(ii) 30 जून, 2025 तक आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर तथा पवन विद्युत की अंतः-राज्यीय बिक्री के लिए अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभारों में छूट देना

(iii) वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्टरी की घोषणा

(iv) बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) विकासकर्ताओं को भूमि तथा पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना

(v) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), सोलर रूफटॉप फेज-II, 12000 मेगावाट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) स्कीम फेज-II, आदि जैसी स्कीमें

(vi) नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर स्कीम के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता का निर्माण करना

(vii) ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टेक (पीवी) और पवन परियोजनाओं से विद्युत क्रय के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश।

(viii) हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम, 2022 के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन की अधिसूचना जारी करना।

(ix) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की बिक्री की सुविधा के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) का शुभारंभ।

****